

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जुलाई, 2017-आषाढ 16, शके 1939

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### उप-नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम जन्म के समय केयारा द्विवेदी था, जिसे अब बदलकर केयारा मिश्रा पुत्री मनुकृति मिश्रा के नाम से जाना एवं पहचाना जाये. अब मेरी पुत्री का नाम केयारा मिश्रा है.

(188-बी.)

मनुकृति मिश्रा,  
(Mother).

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा घर का नाम हनी है व मेरा मूल नाम हेमन्त चव्हाण (HEMANT CHAVHAN) है व यही नाम मेरा शैक्षणिक दस्तावेजों में भी अंकित है एवं मैं, वर्तमान में केनरा बैंक में कार्यरत हूँ. बैंक के रिकॉर्ड में भी मेरा नाम हेमन्त चव्हाण (HEMANT CHAVHAN) ही है. मुझे भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :

( हनी चव्हाण )

(HONEY CHAVHAN)

पुत्र विजय चव्हाण.

(191-बी.)

नया नाम :

( हेमन्त चव्हाण )

(HEMANT CHAVHAN)

पुत्र विजय चव्हाण,

विजय विला, रायसिंह का बाग, रॉकसी टॉकीज,  
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)-474001.

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम पुष्पा पिता श्री बद्रीप्रसाद चौरसिया था. शादी पश्चात् मेरा नाम मुस्कान पति श्री उमेश चौरसिया हो गया है. अतः अब भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( पुष्पा )

पिता श्री बद्रीप्रसाद चौरसिया.

(192-बी.)

नया नाम :

( मुस्कान )

पति श्री उमेश चौरसिया,  
पता-250, तिलक पथ, इन्दौर.

**CHANGE OF NAME**

I, declare that before marriage my name was Manju Vijay. After marriage I have changed my name as Nikky Vijaywargiya W/o Ajay Vijaywargiya. In future I will be known as new name Nikky Vijaywargiya.

Old Name:

(MANJU VIJAY)

New Name :

(NIKKY VIJAYWARGIYA)

W/o Ajay Vijaywargiya,  
Address—FH-122, Scheme No 54,  
Vijay Nagar, Indore (M.P.)-452010.

(193-B.)

**CHANGE OF NAME**

I, ROSHAN DEWASWALA have changed my name to MOHAMMED DEWASWALA S/o NOMAN ALI and now I would be known as MOHAMMED DEWASWALA S/o NOMAN ALI.

Old Name:

(ROSHAN DEWASWALA)

New Name :

(MOHAMMED DEWASWALA)

Add.-217, Saifee Nagar,  
Khati Wala Tank, Indore (M.P.).

(194-B.)

**आम सूचना**

पंजीयन क्र. 05/23/01/0003/17, सन् 2017-2018.

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म साँई एसोसिएट्स जिसका पंजीकृत पता-02 (कमर्शियल प्लॉट), मेन रोड, सोहागपुर, शहडोल-484001 है. जिसमें साझेदारी की संरचना इस प्रकार से है-

पार्टनर-	श्रीचंद जगवानी	33.33 प्रतिशत
	विजय कुमार रोहरा	33.33 प्रतिशत
	अजय कुमार रोहरा	33.33 प्रतिशत

(अ) उपरोक्त साझेदारों की संरचना में परिवर्तन किया जा रहा है, जो कि दिनांक 03 अक्टूबर, 2012 के बाद से दिनांक 16 अगस्त, 2016 तक इस प्रकार है-

पार्टनर-	विजय कुमार रोहरा	33.33 प्रतिशत
	अजय कुमार रोहरा	33.33 प्रतिशत
	महक रोहरा	33.33 प्रतिशत

(ब) और उपरोक्त (अ) साझेदारों की संरचना में परिवर्तन किया जा रहा है, जो कि दिनांक 17 अगस्त, 2016 के बाद से निम्न प्रकार से होगा-

पार्टनर-	विजय कुमार रोहरा	90 प्रतिशत
	पूजा रोहरा	10 प्रतिशत

(190-बी.)

साँई एसोसिएट्स,

1. विजय रोहरा, 2. पूजा रोहरा,  
(भागीदार).

**आम सूचना**

मैं, अशोक राजश्री आत्मज स्व. श्री केसूमल जी रामश्री, उम्र लग. 50 वर्ष, निवासी खैबर लाईन, संत कँवराम वार्ड, माधवनगर वार्ड, माधवनगर, कटनी, जिला कटनी (म.प्र.) आम जनता को सूचित करता हूँ कि मेरे द्वारा 19 मार्च, 2010 को (1) इन्द्रजीत नागवानी आत्मज स्व. श्री हरीराम नागवानी, उम्र लग. 41 वर्ष, निवासी जगमोहनदास वार्ड, नई बस्ती, कटनी, जिला कटनी (म.प्र.), (2) ओमप्रकाश वाधवानी आत्मज स्व. श्री डेटाराम वाधवानी, उम्र लग. 42 वर्ष, निवासी खैबर लाईन, संत कँवराम वार्ड, माधवनगर वार्ड, माधवनगर, कटनी, जिला कटनी (म.प्र.)

के साथ मिलकर दाल मिल व्यापार हेतु भागीदारी फर्म का गठन किया गया था, जिसका नाम-“शिव प्लसेस” रखा था एवं उसका पंजीकृत कार्यालय-शिव प्लसेस, इमलिया, माधवनगर, कटनी (म.प्र.) में था. इस भागीदारी फर्म की डीड का रजिस्ट्रेशन दिनांक 23 फरवरी, 2016 को करवाया गया. इसके पश्चात् दिनांक 16 अगस्त, 2012 को मैंने अपनी समझ से और बांकी पार्टनरों की सहमति से फर्म से अलग होने का निर्णय लिया. यह निर्णय बिना किसी दबाव में लिया गया था. दिनांक 16 अगस्त, 2012 को ही फर्म की डिसालवेशन डीड बनी. उसमें दर्शाये गये सभी बिन्दुओं पर सभी पार्टनरों की सहमति बनी. इस डिसालवेशन डीड को दिनांक 08 मार्च, 2016 को रजिस्टर्ड करवाया गया. मैं, आम जनता को सूचित करता हूँ कि दिनांक 16 अगस्त, 2012 के बाद से फर्म से मेरा, मेरे परिवार का एवं मेरी आने वाली पीढ़ी का कोई लेना-देना नहीं है. किसी के भी द्वारा अगर फर्म से कोई लेन-देन होता है तो मेरा उसमें कोई हित नहीं रहेगा और न ही कोई दायित्व रहेगा. संपूर्ण जवाबदारी फर्म की और फर्म के पार्टनरों की रहेगी. मेरा आम जनता से निवेदन है कि फर्म के साथ या उसके पार्टनरों के साथ किसी भी प्रकार का लेन-देन अपनी समझ के साथ करें. आपकी सारी लेन-देन की जवाबदारी फर्म और उसके पार्टनरों की रहेगी. न मैं फर्म के किसी कार्य में हस्तक्षेप करूंगा और न ही फर्म या उसके पार्टनर मेरे किसी कार्य में हस्तक्षेप करेंगे.

(195-बी.)

अशोक राजश्री,

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स M/s Jai Bhagwan Ji Food Product स्थित नियर बी.पी. पेट्रोल पम्प के पास, हाईवे, सिहोरा, जबलपुर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्रमांक 04/14/02/0124/16, दिनांक 03 सितम्बर, 2016 है, जिसमें पंजीयन दिनांक 03 सितम्बर, 2016 से ही श्री इन्द्र कुमार सहजवानी पुत्र श्री गोविन्द राम सहजवानी, निवासी म.नं. 175, वार्ड नं. 12, दीनदयाल वार्ड, खितौला, सिहोरा, जबलपुर फर्म में नये साझेदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-Jai Bhagwan Ji Food Product,

मनोज सहजवानी,

(भागीदार).

(196-बी.)

Jabalpur.

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स उदया ग्रुप, पता-प्लॉट नं. 21, मानस भवन के पास, राइट टाउन, जबलपुर (म.प्र.) फर्म पंजीयन नं. 04/14/01/00347/12, दिनांक 06 जनवरी, 2012 को पंजीयत है, जिसमें भागीदारी क्रमांक (1) श्री हेमंत तिवारी पिता श्री सी.एल. तिवारी, भागीदार क्र. (2) श्री एशले दयाल पिता श्री सेमुएल दयाल, भागीदारी क्र. (3) ब्रजेश कुमार तिवारी पिता श्री सी.एस. तिवारी फर्म में भागीदार हैं. जिसमें फर्म से दिनांक 01 जून, 2017 को भागीदारी क्रमांक (2) श्री एशले दयाल पिता श्री सेमुएल दयाल पृथक् हो रहे हैं. अतः किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो फर्म के कार्यालय में सात दिवस के अन्दर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं.

हेमंत तिवारी,

(भागीदार).

वर्तमान पता-27/15ए, उखरी रोड, शीतलपुरी कॉलोनी,

चेरीताल, जबलपुर (म.प्र.).

(197-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स दिलसा फूड प्रोडक्ट स्थित ग्राम करिया बलहेरी रोड, रीठी, कटनी (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 04/15/04/0218/16, दिनांक 19 जनवरी, 2016 है, जिसमें दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से (1) श्री मदन गोपाल अग्रवाल पुत्र स्व. श्री सुखईलाल अग्रवाल, निवासी स्टेट बैंक के सामने, तहसील रायपुरा, जिला पन्ना, (2) श्री ब्रजेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मदन गोपाल अग्रवाल, निवासी स्टेट बैंक के सामने, तहसील रायपुरा, जिला पन्ना, (3) ललित अग्रवाल पुत्र श्री मदन गोपाल अग्रवाल, निवासी स्टेट बैंक के सामने, तहसील रायपुरा, जिला पन्ना फर्म में नये साझेदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं एवं इसी दिनांक से फर्म का मुख्य कार्यालय जो कि करहैया बिलहरी रोड, तहसील रीठी, जिला कटनी (म.प्र.) था वह अब नवीन स्थान प्लॉट नं. 22A-22B, Phase-2 इण्डस्ट्रीयल एरिया लमतारा, कटनी (म.प्र.) पर परिवर्तित किया जा रहा है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म दिलसा फूड प्रोडक्ट,

दीवानचंद ठारवानी,

(भागीदार).

कटनी.

(198-बी.)

## आम सूचना

मैं, इन्द्रजीत नागवानी आत्मज स्व. श्री हरिराम नागवानी, उम्र लग. 41 वर्ष, निवासी जगमोहनदास वार्ड, नई बस्ती, कटनी, जिला कटनी (म.प्र.) आम जनता को सूचित करता हूँ कि मेरे द्वारा 19 मार्च, 2010 को (1) अशोक राजश्री आत्मज स्व. श्री केसूमल जी रामश्री, उम्र लग. 50 वर्ष, निवासी खैबर लाईन, संत कँवराम वार्ड, माधवनगर वार्ड, माधवनगर, कटनी, जिला कटनी (म.प्र.), (2) ओमप्रकाश वाधवानी आत्मज स्व. श्री डेटाराम वाधवानी, उम्र लग. 42 वर्ष, निवासी खैबर लाईन, संत कँवराम वार्ड, माधवनगर, कटनी, जिला कटनी (म.प्र.) के साथ मिलकर दाल मिल व्यापार हेतु भागीदारी फर्म का गठन किया गया था, जिसका नाम—“शिव प्लसेस” रखा था एवं उसका पंजीकृत कार्यालय—शिव प्लसेस, इमलिया, माधवनगर, कटनी (म.प्र.) में था. इस भागीदारी फर्म की डीड का रजिस्ट्रेशन दिनांक 23 फरवरी, 2016 को करवाया गया. इसके पश्चात् दिनांक 16 अगस्त, 2012 को मैंने अपनी समझ से और बांकी पार्टनरों की सहमति से फर्म से अलग होने का निर्णय लिया. यह निर्णय बिना किसी दबाव में लिया गया था. दिनांक 16 अगस्त, 2012 को ही फर्म की डिसालवेशन डीड बनी. उसमें दर्शाये गये सभी बिन्दुओं पर सभी पार्टनरों की सहमति बनी. इस डिसालवेशन डीड को दिनांक 08 मार्च, 2016 को रजिस्टर्ड करवाया गया. मैं, आम जनता को सूचित करता हूँ कि दिनांक 16 अगस्त, 2012 के बाद से फर्म से मेरा, मेरे परिवार का एवं मेरी आने वाली पीढ़ी का कोई लेना-देना नहीं है. किसी के भी द्वारा अगर फर्म से कोई लेन-देन होता है तो मेरा उसमें कोई हित नहीं रहेगा और न ही कोई दायित्व रहेगा. संपूर्ण जवाबदारी फर्म की और फर्म के पार्टनरों की रहेगी. मेरा आम जनता से निवेदन है कि फर्म के साथ या उसके पार्टनरों के साथ किसी भी प्रकार का लेन-देन अपनी समझ के साथ करें. आपकी सारी लेन-देन की जवाबदारी फर्म और उसके पार्टनरों की रहेगी. न मैं फर्म के किसी कार्य में हस्तक्षेप करूँगा और न ही फर्म या उसके पार्टनर मेरे किसी कार्य में हस्तक्षेप करेंगे.

(199-बी.)

इन्द्रजीत नागवानी.

## विविध

### अन्य सूचनाएं

#### कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण वन मण्डल, शहडोल

##### प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:-

परिक्षेत्र अधिकारी शहडोल के अंतर्गत परिक्षेत्र अधिकारी शहडोल ने अपने पत्र क्र. 403, दिनांक 06 मार्च, 2017 से अवगत कराया गया है कि परिक्षेत्र कार्यालय में आर.डी.एफ. जोधपुर कक्ष क्रमांक-790, कूप क्रमांक-VIII हेतु प्रदाय पासिंग/फैलिंग हैमर कार्य समाप्त उपरान्त बीट गार्ड श्री मयंक अग्निहोत्री, वन रक्षक, जोधपुर के द्वारा पासिंग हैमर परिक्षेत्र कार्यालय में जमा कर पावती श्री इन्द्रमणि तिवारी तत्कालीन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी से प्राप्त किया गया था. परिक्षेत्र कार्यालय साफ-सफाई के दौरान हैमर कहीं गुम हो गया. हैमर की काफी खोजबीन के बावजूद भी हैमर का कहीं पता नहीं चला. जिसकी सूचना थाना कोतवाली, शहडोल में दिनांक 03 फरवरी, 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी. श्री इन्द्रमणि तिवारी, तत्कालीन दैनिक वेतनभोगी को उक्त कार्य के लिये कार्यालयीन पत्र क्रमांक/2613, दिनांक 23 मई, 2017 से स्पष्टीकरण जारी किया गया है. तत्संबंध में श्री इन्द्रमणि तिवारी, तत्कालीन दैनिक वेतनभोगी द्वारा प्रतिउत्तर/स्पष्टीकरण परिक्षेत्र अधिकारी, शहडोल के माध्यम से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1110, दिनांक 05 जून, 2017 से जवाब प्रस्तुत किया गया है, प्राप्त उत्तर का अवलोकन करने पर पाया गया है कि श्री इन्द्रमणि तिवारी, तत्कालीन दैनिक वेतनभोगी द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही व असावधानी बरतने के कारण अपने आपको भागी बनाया गया है.

अतः उक्त हैमर न मिलने की स्थिति में यह आदेश देता हूँ कि:-

### आदेश

आ.क्र./स्था/359.—

दिनांक 15 जून, 2017

वन वित्तीय नियम की धारा 124 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये निम्नांकित हैमर को अपलेखित किया जाता है, तथा श्री इन्द्रमणि तिवारी, तत्कालीन दैनिक वेतनभोगी से उक्त हैमर का मूल्य रु 500.00 (रुपये पाँच सौ) मात्र एक मुश्त उनके वेतन से वसूली के आदेश जारी करते हुये वन वित्तीय नियम की धारा-124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर शासकीय अभिलेख से अपलेखित किया जाता है.

श्री इन्द्रमणि तिवारी, तत्कालीन दैनिक वेतनभोगी को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश वर्गीकरण (नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत के चारित्रिक चेतावनी दी जाती है।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को निर्मांकित हैमर मिलता है तो उसे निकटतम थाने या वन विभाग के किसी भी कार्यालय में जमा कर दें। इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति द्वारा निर्मांकित आकृति के हैमर को अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो उनके विरुद्ध नियमानुसार दण्डित कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-63 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा।

(1837)

देवांशु शेखर,  
वनमण्डल अधिकारी।

### कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल सामान्य वनमंडल

#### प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:-

वनपरिक्षेत्र अधिकारी भैसदेही (सा.) द्वारा उनके पत्र क्रमांक/687, दिनांक 02 मई, 2017 से अवगत कराया गया है कि परिक्षेत्र सहायक चांदू के प्रतिवेदन अनुसार कूप क्रमांक-XI चांदू में दूठ तराशी का कार्य स्व. श्री रामलाल बुन्देले (वनरक्षक) तत्कालीन बीटगार्ड, गाड़ागोहान द्वारा कराया जा रहा था। स्व. श्री रामलाल बुन्देले (वनरक्षक) का अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण दिनांक 14 मार्च, 2017 को उनकी आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के पश्चात् उनके मुख्यालय पर स्थित सामग्री एवं रूम पर उक्त हैमर की तलाश की गई एवं पारिवारिक सदस्यों से पूछे जाने पर अनभिज्ञता व्यक्त की गई। तदुपरांत परिक्षेत्र सहायक चांदू द्वारा थाना-झल्लार में हैमर गुप्त हो जाने संबंधी सूचना दी गई एवं उक्त हैमर को गुप्त हुआ मानकर हैमर अपलेखन किये जाने की अनुशंसा की है।

उक्त संबंध में उप वनमंडलाधिकारी, भैसदेही (सा.) के पत्र क्र.479, दिनांक 02 जून, 2017 से अवगत कराया गया।

ऐसी दशा में यह आवश्यक हो गया कि उक्त हैमर को अपलेखित किया जावे। अतः प्रकरण में आदेश पारित किया जाता है कि:-

क्रमांक/मा.चि./01

बैतूल, दिनांक 16 जून, 2017

वन वित्तीय नियम की धारा 124 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुये निर्मांकित हैमर को अपलेखित किया जाता है तथा स्व. श्री रामलाल बुन्देले (वनरक्षक) तत्कालीन बीटगार्ड, गाड़ागोहान के स्वत्वों से उक्त हैमर का मूल्य रुपये 510/- (पांच सौ दस रुपये मात्र) एक मुश्त वसूली के आदेश जारी करते हुए वन वित्तीय नियम की धारा-124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर गुप्तशुदा पर्सनल हैमर शासकीय अभिलेख से अपलेखित किया जाता है।

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को निर्मांकित हैमर मिले तो उस हैमर को निकटतम पुलिस थाने या वन विभाग के कार्यालय में जमा करें। इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्मांकित आकृति के हैमर को अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दण्डित कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा-63 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा।

हैमर का चिन्ह :-



(1838)

जे. देवाप्रसाद,  
वनमण्डलाधिकारी।

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, गुना

गुना, दिनांक 24 मई, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/973.-कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक
1	2	3
1.	सामूहिक कृषि सहकारी संस्था, मोरखेडी	366/03-02-1968
2.	संयुक्त कृषि सहकारी संस्था, सरखण्डी	169/04-02-1966

1	2	3
3.	संयुक्त कृषि सहकारी संस्था, खुटियावद	172/03-03-1966
4.	जवाहर वर्धा तेलघानी सहकारी संस्था, उमरी	557/31-03-1957
5.	चर्मकार सहकारी संस्था, डुंगासरा	55/22-12-1970
6.	कत्था उद्योग सहकारी संस्था, बेरखेडी	559/15-01-1996
7.	जिला वृक्ष सहकारी संघ, गुना	710/20-12-2001
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, गढा	--

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तिका में लेखा समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था की कोई जानकारी/दस्तावेज/लेखा पुस्तिका किसी सदस्य के पास भूतपूर्व कर्मचारी/पदाधिकारी के पास उपलब्ध हो, तो वह उन्हें मेरे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा।

आज दिनांक 24 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

बी. के. शर्मा,

उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(1839)

गुना, दिनांक 24 मई, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/974.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक
1	2	3
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, गणेशखेडा	513/27-03-1979
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, नठाई	742/07-03-1998
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, खामखेडा	976/17-03-2003
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, बूढाखेडा	974/17-03-2003
5.	वृक्ष सहकारी संस्था, तमेडी	663/18-10-1991
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, नरयाई	742/07-03-1995
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, भादौर	945/08-05-2002
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, पाली	946/08-05-2002

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तिका में लेखा समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था की कोई जानकारी/दस्तावेज/लेखा पुस्तिका किसी सदस्य के पास भूतपूर्व कर्मचारी/पदाधिकारी के पास उपलब्ध हो, तो वह उन्हें मेरे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा।

आज दिनांक 24 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(1839-A)

गुना, दिनांक 24 मई, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/975.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक
1	2	3
1.	आदर्श चर्म उद्योग सहकारी संस्था, चांचौडा	518/24-02-1995
2.	काष्टकलां उद्योग सहकारी संस्था, रानीखेजरा	742/23-12-1966
3.	ईट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था, गोविंदपुर	548/31-12-1984
4.	लक्ष्मी सैनिक चर्म उद्योग सहकारी संस्था, भमावद	12325/29-05-1959
5.	शक्तिपुंज बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कीताखेडी	1031/14-09-2004
6.	आदर्श सामूहिक कृषि सहकारी संस्था, चकगुलवाडा	112/10-05-1954
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, पैंची	510/27-03-1979
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, बडपुरा	1084/18-11-1991
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, सूजापुरा	1114/13-01-2006
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, कादीखेडा	1142/27-07-2009
11.	ओम सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था, चांचौडा	913/16-04-2001
12.	वृक्ष सहकारी संस्था, सींगनपुर	696/30-11-1991
13.	अनु. मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, लहरचा चांचौडा	1161/06-04-2011
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, भूमलाखेडी	771/30-03-1995
15.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, सींगापुरा	1137/24-10-2008

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तिका में लेखा समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था की कोई जानकारी/दस्तावेज/लेखा पुस्तिका किसी सदस्य के पास भूतपूर्व कर्मचारी/पदाधिकारी के पास उपलब्ध हो, तो वह उन्हें मेरे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा।

आज दिनांक 24 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(1839-B)

विजय गुप्ता,  
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

गुना, दिनांक 24 मई, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/976.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक
1	2	3
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, हरिपुर	944/08-05-2000
2.	हरि बीज उत्पादक सहकारी संस्था, श्यामपुर बमोरी	1135/16-09-2008

1	2	3
3.	अन्त्योदय ईट-भट्टा सहकारी संस्था, बमोरी	720/21-07-1993
4.	सामूहिक कृषि सहकारी संस्था, सिमरोद	399/18-04-1970
5.	आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, चीमरामपुर	552/29-01-1986
6.	मछुआ सहकारी संस्था, बमोरी	552/29-01-1986
7.	आदर्श संयुक्त कृषि सहकारी संस्था, फतेहगढ	258/05-12-1955
8.	संयुक्त कृषि सहकारी संस्था, भौरागिर्द	171/03-03-1966
9.	शिवाजी गुडखाडसारी सहकारी संस्था, दुमेली	140/14-11-1963
10.	जवाहर आदिवासी सहकारी संस्था, मगरोडा	114/12-02-1963
11.	हरिओम तेल उत्पादक सहकारी संस्था, लौडेरी	84/23-03-1962
12.	गजानंद तेल उत्पादक सहकारी संस्था, रामनगर	712/05-12-1988
13.	श्याम तेल उत्पादक सहकारी संस्था, श्यामपुर	39/19-01-2007
14.	वृक्ष सहकारी संस्था, पाटी	694/26-11-1991
15.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खुटियारी	746/09-03-1995

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तिका में लेखा समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था की कोई जानकारी/दस्तावेज/लेखा पुस्तिका किसी सदस्य के पास भूतपूर्व कर्मचारी/पदाधिकारी के पास उपलब्ध हो, तो वह उन्हें मेरे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा।

आज दिनांक 24 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(1839-C)

सी. एम. धुलिया,  
सहकारिता विस्तार अधिकारी.

गुना, दिनांक 24 मई, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/977.-कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक
1	2	3
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, म्याना	816/20-12-1995
2.	नारी कल्याण सहकारी संस्था, गुना	576/13-03-1977
3.	इन्द्रगांधी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, गुना	898/14-07-2000
4.	चर्म सहकारी संस्था, चिरोल	10013/30-12-1968
5.	श्रीकृष्ण तेल उत्पादक सहकारी संस्था, म्याना	94/25-08-1962
6.	भैरो तेल उत्पादक सहकारी संस्था, खुटियाद	60/29-03-1962
7.	बीज उत्पादक एवं विपणन प्रक्रिया सहकारी संस्था, बरखेडाहाट	1107/07-07-2006
8.	पर्व किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था, गुना	983/30-05-2003
9.	जय दुर्गे बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था, म्याना चौराहा	1160/31-03-2011
10.	शासकीय अधिकारी गृह निर्माण सहकारी संस्था, गुना	5811/25-05-1986
11.	पुलिस विभाग गृह निर्माण सहकारी संस्था, गुना	545/26-04-1984



1	2	3
12.	दि दिनेन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था, गुना	585/07-08-1987
13.	दि गुना गृह निर्माण सहकारी संस्था, गुना	525/30-06-1980
14.	राजस्व गृह निर्माण सहकारी संस्था, गुना	1048/18-02-2005
15.	जवाहर गृह निर्माण सहकारी संस्था, गुना	546/01-06-1984
16.	सहरिया मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था, नेहगमा	580/20-04-1987
17.	दि न्यू सामूहिक कृषि सहकारी संस्था, चकचोरोल	10/25-05-1955
18.	कामगार सहकारी संस्था, भदौरा	787/29-07-1995
19.	प्रजापति गुडखांडसारी सहकारी संस्था, बजरंगगढ	51/03-12-1960
20.	बास उद्योग गुडखांडसारी सहकारी संस्था, भदौरा	45/26-02-1960
21.	धनिया उत्पादक एवं विपणन प्रक्रिया सहकारी संस्था, गुना	872/13-04-1998
22.	महिला स्वाधार बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, गुना	907/28-02-2001
23.	संयुक्त कृषि सहकारी संस्था, वेहटाघाट	166/16-11-1966
24.	शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, गादेर	1053/25-04-2005
25.	एक्शन बेट्टी सहकारी संस्था, गुना	306/17-09-1991
26.	जनजाति वनश्रमिक सहकारी संस्था, टकनेरा	160/24-07-1965
27.	दीपक स्पिनर्स प्रा. उप. भण्डार, पगारा	875/20-07-1998
28.	आदर्श फल, साग-सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था, गुना	729/23-12-1993
29.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, मगरोडा	757/12-03-1995
30.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, भोरा	750/09-03-1995
31.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, बरखेडागिर्द	970/17-03-2003
32.	राजीव गांधी ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, गुना	528/27-11-1996
33.	शक्तिपुंज महिला बहु. सहकारी संस्था मर्यादित, ख्यावदा	1038/06-10-2004
34.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पगारा	1105/03-07-2006
35.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नानाखेडी	1187/10-10-2014
36.	बंसुधरा प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, गुना	1206/14-10-2015
37.	किसान विकास सहकारी साख संस्था, गुना	1203/14-10-2015
38.	सिद्धेश्वर साख सहकारी संस्था, गुना	1210/14-10-2015
39.	होमगार्ड बेलफेयर साख सहकारी संस्था, गुना	1207/14-10-2015
40.	भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी साख संस्था, गुना	1211/14-10-2015
41.	शासकीय अधिकारी कल्याण साख संस्था, गुना	1214/14-10-2015
42.	डॉ. अम्बेडकर साख सहकारी संस्था, पगारा, गुना	1216/22-01-2016
43.	पुलिस बेलफेयर कंजूमर्स सहकारी संस्था, गुना	1205/14-10-2015
44.	पं. दीनदयाल वारदाना क्रय-विक्रय संस्था, गुना	1201/14-10-2015
45.	माँ गायत्री केन्टीन सहकारी संस्था, हनुमान चौराहा, गुना	1212/14-10-2015
46.	बंदना कॉन्वेंट सहकारी स्टोर, गुना	1213/14-10-2015
47.	शक्तिपुंज बहु. सहकारी संस्था मर्यादित, विसोनिया, गुना	1030/09-04-2004
48.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, करोदिया, गुना	1132/06-08-2008
49.	माँ गायत्री महिला प्रा. उप. भण्डार, गुना	1208/14-10-2015

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तिका में लेखा समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. एतद्द्वारा सूचित किया जाता

है कि संस्था की कोई जानकारी/दस्तावेज/लेखा पुस्तिका किसी सदस्य के पास भूतपूर्व कर्मचारी/पदाधिकारी के पास उपलब्ध हो, तो वह उन्हें मेरे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा.

आज दिनांक 24 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1839-D)

आर. सी. जाटव,  
सहकारिता विस्तार अधिकारी.

गुना, दिनांक 24 मई, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/978.-कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक
1	2	3
1.	सामान्य मछुआ सहकारी संस्था, मधुसूदनगढ़ (राधौगढ़)	734/01-11-1994
2.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था, जामनेर	456/10-05-1956
3.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था, राधौगढ़	460/03-08-1959
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, पारकना	1117/10-01-2007
5.	दुग्ध सहकारी संस्था, नारायणपुरा	1116/10-01-2007
6.	वृक्ष सहकारी संस्था, खमखेडी	660/18-10-1991
7.	वृक्ष सहकारी संस्था, मांची	669/18-10-1991
8.	आदर्श रविदास चर्म उद्योग सहकारी संस्था, खेराड राधौगढ़	96/28-02-1977
9.	बुनकर सहकारी संस्था, राधौगढ़	158/15-08-1958
10.	न्यू उत्तम सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था, विजयपुर	901/27-12-2001
11.	श्रमिक हम्माल सहकारी संस्था, विजयपुर	589/17-02-1987
12.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था, मधुसूदनगढ़	508/23-02-1995
13.	गांधी गुडखाडसारी सहकारी संस्था, नारायणपुर	147/17-04-1964
14.	वृक्ष सहकारी संस्था, कुडेर	668/18-10-1991
15.	वृक्ष सहकारी संस्था, चन्दनवेंहटा	6671/18-10-1991
16.	वृक्ष सहकारी संस्था, बसंतपुरा	662/18-10-1991
17.	वृक्ष सहकारी संस्था, बरैयाखेडी	681/18-10-1991
18.	वृक्ष सहकारी संस्था, नादनपुर	682/18-10-1991
19.	अ.जा. सफाई कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, राधौगढ़	1164/16-05-2012
20.	सफाई कामगार सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था, राधौगढ़	1209/14-10-2015
21.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, प्रेमगढ़	959/12-09-2002
22.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, गणेशपुरा	1198/08-10-2015
23.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, ग्वारखेडा	1180/10-10-2014

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तिका में लेखा समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था की कोई जानकारी/दस्तावेज/लेखा पुस्तिका किसी सदस्य के पास भूतपूर्व कर्मचारी/पदाधिकारी के पास उपलब्ध हो, तो वह उन्हें मेरे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा.

आज दिनांक 24 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1839-E)

जी. के. वास्त्री,  
सहकारिता विस्तार अधिकारी.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जुलाई, 2017-आषाढ़ 16, शके 1939

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 01 फरवरी, 2017

1. मौसम एवं वर्षा.-राज्य में प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के निम्नलिखित जिलों में वर्षा का होना पाया गया है-

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.-तहसील अम्बाह, पोरसा, सबलगढ़ (मुरैना), श्योपुर, कराहल, विजयपुर (श्योपुर), भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), मुँगावली, चन्देरी (अशोकनगर), बंडा, सागर, देवरी, राहतगढ़ (सागर), रघुराजनगर, उचेहरा, अमरपाटन, मैहर (सतना), गोपदबनास, रामपुरनैकिन (सीधी), गरोट (मंदसौर), बुरहानपुर, नेपानगर (बुरहानपुर), सीहोर, आष्टा, जावर, इच्छावर, रेहटी (सीहोर), सिवनी-मालवा, होशंगाबाद, बावई, सोहागपुर, पिपरिया, वनखेड़ी, पचमढ़ी (होशंगाबाद) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.- तहसील मुरैना, जौरा, कैलारस (मुरैना), ग्वालियर (ग्वालियर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.- तहसील डबरा (ग्वालियर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.- जिला ग्वालियर, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, उमरिया, जबलपुर व मण्डला में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.- जिला ग्वालियर, सागर, दमोह, रीवा, उमरिया, खरगौन, जबलपुर व बालाघाट में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति-

5. कटाई.- जिला अनूपपुर में फसल राई व खरगौन में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, सागर, शहडोल व बड़वानी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 01 फरवरी, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुथरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	14.0				
2. पोरसा	4.0				
3. मुरैना	25.2				
4. जौरा	33.0				
5. सबलगढ़	9.0				
6. कैलारस	20.0				
<b>2. जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मसूर. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	8.0				
2. कराहल	7.5				
3. विजयपुर	3.0				
<b>3. जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
<b>4. जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	23.2				
2. डबरा	37.0				
3. भितरवार	5.0				
4. घाटीगांव	4.0				
<b>5. जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सेवदा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
<b>6. जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	1.0		4. (1) उड़द, मक्का, गेहूँ, चना अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	6.0				
5. शाढौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) गेहूँ, चना, धनिया, मसूर, सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राधोगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) अरहर, चना, राई-सरसों, मटर, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
10. *जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. लौण्डी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गौरीहार	..		(2) ..		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बक्सवाहा	..				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) ..		
3. बण्डा	2.3				
4. सागर	1.0				
5. रेहली	..				
6. देवरी	3.0				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	1.0				
9. कंसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>13. जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, तिल-तिवड़ा, जौ. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>14. जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, गेहूँ चना, अलसी, मसूर, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	2.0				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	3.0				
6. अमरपाटन	2.0				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	2.0				
9. बिरसिंहपुर	..				
<b>15. जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, जौ, राई-सरसों, अरहर अधिक. मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकचुलियान	..				
<b>16. जिला शहडोल:</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, राई-सरसों, चना, मसूर, अलसी, गेहूँ जौ अधिक. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
<b>17. जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. राई की फसल कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, अलसी, मसूर, गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
<b>18. जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, अलसी, राई समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				
<b>19. जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	1.4				
2. सिंहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	1.2				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..	..	4. (1) चना, मटर, राई-सरसों, गेहूँ	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..	..	अधिक. राहर, अलसी समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	..	..	(2) ..		
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	..	..	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..	..	(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	..	..			
4. गरोठ	2.0	..			
5. मंदसौर	..	..			
6. श्यामगढ़	..	..			
7. सीतामऊ	..	..			
8. धुंधडक्का	..	..			
9. संजीत	..	..			
10. कयामपुर	..	..			
22. *जिला नीमच :	मिलीमीटर	2	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावद	..	..	4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. नीमच	..	..	(2) ..		
3. मनासा	..	..			
23. *जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावरा	..	..	4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आलोट	..	..	(2) ..		
3. सैलाना	..	..			
4. बाजना	..	..			
5. पिपलोदा	..	..			
6. रतलाम	..	..			
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..	..	4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..	..	(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	..	..			
4. घटिया	..	..			
5. उज्जैन	..	..			
6. बड़नगर	..	..			
7. नागदा	..	..			
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..	..	4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..	..	(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..	..			
4. आगर	..	..			
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	..	..	4. (1) गेहूँ, चना, राई, मसूर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..	..	(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..	..			
4. कालापीपल	..	..			
5. गुलाना	..	..			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>27. जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मटर, चना अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>28. जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ, चना, मक्का अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
<b>29. जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मक्का, मूँगफली अधिक. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोंडवा	..				
5. भामरा	..				
<b>30. *जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
<b>31. जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	..				
<b>32. जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी व कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
<b>33. जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2	..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. बड़वानी	..			4. (1) गन्ना, मक्का, ज्वार, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. ठीकरी	..			(2) ..		
3. राजकोट	..					
4. सेंधवा	..					
5. पानसेमल	..					
6. पाटी	..					
7. निवाली	..					
<b>34. जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..			(2) ..		
3. हरसूद	..					
<b>35. जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	3.2			4. (1) कपास अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..			(2) ..		
3. नेपानगर	6.0					
<b>36. जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..			(2) ..		
3. राजगढ़	..					
4. ब्यावरा	..					
5. सारंगपुर	..					
6. पचोर	..					
7. नरसिंहगढ़	..					
<b>37. जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..			(2) ..		
3. कुरवाई	..					
4. बासोदा	..					
5. नटेरन	..					
6. विदिशा	..					
7. गुलाबगंज	..					
8. ग्यारसपुर	..					
<b>38. जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..			(2) ..		
<b>39. जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	1.6			4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	..			(2) ..		
3. आष्टा	5.0					
4. जावर	1.0					
5. इछावर	2.0					
6. नसरुल्लागंज	..					
7. रेहटी	1.2					
8. बुधनी	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>40. जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2 ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) चना, तिवड़ा, मसूर, मटर, अलसी, राई-सरसों, मूँग अधिक. धनिया कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
<b>41. जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2 ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
<b>42. जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2 ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	11.0		4. (1) चना, तुअर, मटर, मसूर, गन्ना अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	3.3				
3. बावई	5.0				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	8.0				
6. पिपरिया	15.0				
7. बनखेड़ी	9.2				
8. पचमढी	4.8				
<b>43. जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2 ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
<b>44. जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2 जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोरा	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर कम. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझोली	..				
5. कुण्डमपुर	..				
<b>45. जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2 ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, अलसी, मसूर, राई-सरसों सुधरी हुई. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..				
3. विजयराघौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेंदूखेड़ा	..				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
48. *जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. डिण्डोरी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. बजाग	..		(2) ..		
3. शाहपुरा	..				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	..		4. (1) मक्का, धान अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		सोयाबीन कम.	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	..		(2) ..		
4. तामिया	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. चांद	..				
11. हरई	..				
12. उमरेठ	..				
13. मोहखेड़ा	..				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		मक्का, तुअर, उड़द, मूँग,	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादोन	..		मूँगफली, तिल, सोयाबीन,		
4. बरघाट	..		सन, गन्ना.		
5. कुरई	..		(2) ..		
6. घंसीर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खैरलाँजी	..				
4. वैहर	..				
5. लालबरा	..				
6. वारासिवनी	..				
7. बिरसा	..				
8. कटंगी	..				
9. परसवाड़ा	..				
10. किरनापुर	..				

टीप.-\*जिला छतरपुर, नीमच, रतलाम, धार, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

सुहेल अली,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1836)